कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. 43/2022
जीसीएमएस 2022/175

1 पालाराम पुत्र मूलाराम (माता गुडडी पत्नी मूलराम पुत्री मनफूल) जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी (ततारसर) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2 सुमन देवी पुत्री मूलाराम पत्नी बादल सिंह (माता गुडडी पत्नी मूलराम पुत्री मनफूल) जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी (ततारसर) हाल 2 केएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1 गुडडी पुत्री मनफूल पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी(ततारसर) हाल 6 डीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2 गोपीराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी 6 डीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री मगतूराम नायक, श्री जितेन्द्र सोनी, वकील प्रार्थीगण
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1–2

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाना मनफूल पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी के नाम से चक 50 एनपी के मु.नं. 52 प.नं. 230/339 के कि.नं. 21/2, 22 ता 25 सालम सालम कुल 1.054है. बारानी भूमि व मु. नं. 23 प.नं. 239/336 कि.नं. 17/2, 18 ता 25 सालम सालम कुल 2.025है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। उनकी मृत्यु के पश्चात भूमि का विरास्तन इंतकाल माता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। अप्रार्थी सं. 1 के तीन वारिस हैं। उपरोक्त भूमि जो नाना मनफूल से आई थी। जिसमें प्रत्येक वारिसान का प्रार्थी सं. 1–2 व अप्रार्थी सं. 1–2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता हैं। नाना की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि का विरास्तन इंतकालमाता ने केवल मात्र अपने नाम से करवा लिया जबकि भूमि में प्रार्थीगण 1/4 विरास्तन हक व हिस्से के अधिकारी थे। माता की काफी उम्र हो चुकी हैं तथा उसके सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो चुकी हैं। इसी का नाजायज फायदा अप्रार्थी सं. 2 जो प्रार्थीगण का भाई हैं। उसने अपने प्रभाव में माता को जबरन अपने पास रख रखा हैं तथा विरासतन भूमि को बेचान करने की फिराक में हैं। जिसको लेकर उसने बिकवाली निकाल रखी हैं। कल दिनांक 28.03.2022 को चक 50 एनपी में कुछ लोगों [illegible] लेकर आया व भूमि को बेचान करने के बाबत लोगों को दिखा रहे थे [illegible] उस भूमि में थे। तब अप्रार्थीगण वहां आये। अप्रार्थीग[illegible] कहा कि हम इस भूमि को बेचान कर रहे हैं। तब [illegible] को बुलाकर भूमि को बेचान नहीं करने से समझाया तो अ[illegible] दी कि शीघ्र ही उपरोक्त विरास्तन भूमि को बेचान करके तुम्हे भूमि से बेदखल [illegible] देंगे। उसमें खडी फसल जो काश्त कर रखी हैं उसे निकाल कर ले जायेगें यदि ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो फसल नष्ट कर देंगे। ऐसी धमकी देकर अप्रार्थीगण वहां से चले गये। यही बिनाय वाद कारण प्रार्थीगण को प्राप्त हैं। विवादित भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व पानी की बारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

भूमि के संबंध में रहन बैय हस्तांतरण मौका व रिकार्ड के यथास्थिति बनाये रखें, जारी करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 30.03.2022 को वकील प्रार्थीगण के आग्रह करने पर एकपक्षीय बहस सुनते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पारित की गयी।

अप्रार्थी सं. 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 16.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया गुडडी के पिता मनफूलराम की भूमि का अधूरा विवरण दर्ज करवाया है, जबकि चक 50 एनपी मु.न. 4, 23 व 52 में कुल 9.058है. कुल भूमि में से 1/3 विरासतन व 1/3 माता द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी से प्राप्त होकर विधिवत बंटवारा होने उपरांत मुताबिक जमाबंदी 50 एनपी संवत 2071-2074 खाता सं. 15 में मु.न. 4 की 0.894है., नहरी, मु.न. 23 की 3.037है. नहरी व मु.न. 52 की 2.108है. बारानी कुल 6.039है. नहरी बारानी खातेदारी अप्रार्थी गुडडी के नाम से दर्ज होकर अप्रार्थीया गुडडी काबिज हुई, जिस भूमि का 1/3 भाग माता से प्राप्त होने व संयुक्त भूमि का विधिवत विभाजन होकर खाता अलग-अलग दर्ज होने व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित रकबा अप्रार्थी गुडडी की स्वअर्जित सम्पति होकर समस्त हित व अधिकार एकल व स्वतंत्र रूप से हासिल हाने से उक्त रकबा में प्रार्थीगण या अन्य के कोई हित व अधिकार अप्रार्थीया के जीवनकाल में न तो पैदा हुये न ही कानूनन हो सकते हैं। अप्रार्थीया गुडडी व्योवृद्ध अनपढ ग्रामीण औरत होने से उसकी सार संभाल आदि की जिम्मेदारी उसकी तीनों संतानों पर हैं प्राथी सुमन की अप्रार्थीया गुडडी ने अच्छा घर अच्छा वर तलाश कर भारी दान-दहेज देकर शादी कर उसकी हकरसी पूरी कर दी थी। प्रार्थीया सुमन की शादी होने से दोनों पुत्रों प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 पर अप्रार्थी गुडडी की जिम्मेदारी आ गई। मगर प्रार्थी पालाराम के मन में लालचवश बेईमानी पैदा होने से वेश्वासिक रिश्ता होने अप्रार्थीया गुडडी के वृद्ध आयु अनपढ ग्रामीण महिला का बेजा नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थीया गुडडी की अनभिज्ञता में धोखा में रखकर विश्वासघात करते हुये अपने हितबद्ध व्यक्तियों से मिलकर खेत के लिए सरकारी योजना के लाभ प्राप्ति का झांसा देते हुये अप्रार्थीया की स्वअर्जित कुल 6.039है. भूमि में से 50 एनपी मु.नं. 52 के कि.नं. 17/2 ता 21/1 की 1.0540है. बारानी मु.नं. 4 कि.नं. 4/2,5,9 ता 11/2 की 0.894है. कुल 2.960है. नहरी बारानी भूमि का दस्तावेज दान पत्र 2012 में गुपचुप तरीके से अपने पक्ष में तहरीर तकमील करवा पंजीकृत करवा अपने कब्जा में रख लिया। तत्पश्चात पालाराम अप्रार्थी गुडडी के प्रति अपनी जिम्मेवारी के निर्वाह में कोताही बरतने लगा। अप्रार्थी सं. 2 गोपीराम अपनी जिम्मेवारी बखूबी निर्वाह करने से अप्रार्थीया अप्रार्थी सं. 2 के पास रहने से प्रार्थी पालाराम के डर सताने लगा की कहीं उसका भेद खुलने से नाराज होकर शेष भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से न लगवा दे उसने तथाकथित दस्तवेज दान पत्र का वैध दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाकर गुपचुप तरीके से इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाते हुये अप्रार्थीया गुडडी की शेष भूमि के संबंध में मुकदमाबाजी व विवाद पैदा कर दोहरा नाजायज लाभ प्राप्ति के आशय से कथित हिस्सा देने का दबाव बनाने के आशय से यह प्रकरा मिथ्या तथ्यों पर अपने गैरकानूनी कृत्य को छिपाते हुये पेश किया [illegible] प्रार्थीया कथित [illegible] गैरकानूनी धोखा से परिपूर्ण कूटरचित घोति करवा निरस्त करवाने की अ[illegible] से कार्यवाही प्रस्तावित हैं। प्रार्थीया सुमन पारिवारिक म[illegible] के बहकावे व भडकावे में आकर प्रकरण पेश किया है, [illegible] ता सद्भावी ही क्लीनहेण्ड से न्यायालय में आये हैं। और वे कोई हि[illegible] कतई कानूनन अधिकारी नहीं होने से प्रकरण खारिज [illegible] अप्रार्थीया गुडडी का स्वअर्जित होकर अप्रार्थीया के ही कब्जा काश्त में चला आ [illegible] हैं और प्रार्थीगण या अन्य के कोई हित व अधिकार अप्रार्थीया के जीते जी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीया गुडडी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की माता अप्रार्थीया सं. 1 को उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। अप्रार्थीया सं. 1 के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 कुल तीन वारिसान हैं। [illegible] विवादित भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा विरासतन बनता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. [illegible] में प्रार्थीगण का [illegible] हिस्सा की भूमि में [illegible] यदि वे [illegible] तो प्रार्थीगण का [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित [illegible] अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीया को विरासतन एवं [illegible] प्राप्त होने के बाद विधिवत विभाजन के उपरान्त अप्रार्थीया के नाम से [illegible] हुई है। विवादित भूमि अप्रार्थीया की एकल खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीया सं. 1 वृद्ध एवं ग्रामीण अनपढ़ महिला है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया की देखभाल भी नहीं की जाती है। प्रार्थी सं. 1 [illegible] धोखा से अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि का दान पत्र अपने पक्ष में करवा लिया है। प्रार्थीगण सदभावी नहीं हैं। न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आए है। तथ्यों को छुपाकर न्यायालय मे आए हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अप्रार्थीया के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी जाती है तो अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसको मूल्या में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक 50 एनपी जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 20 में दर्ज अनुसार मु.नं. 52 व 23 की कुल 3.079है. बारानी नहरी गुडडी पुत्री मनफूल जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ चित्रप्रति नामान्तरण सं. 136 ग्राम 50 एनपी स्वीकृत दिनांक 05.09.1998 की प्रस्तुत की हैं जिस अनुसार मु.नं. 4 की 1.341है. नहरी, 23 की 4.505है. नहरी, 52 की 3.162है. बारानी भूमि मनफूल वल्द चुनी से विरासतन रूकमा बेवा मनफूल 1/3 हिस्सा, गुडडी, दुखतराम 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार दर्ज हुई हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के नियम 14 में प्रावधान हैं कि –
"**हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पति होगी** – (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में सम्पति के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा विभाजन में अथवा भरण–पोषण के या भरण–पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी सम्पति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।
(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पति को लागू न [illegible] अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन [illegible] आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो [illegible] दान, विल [illegible] लिखत अथवा डिग्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन सम्पति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:48
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया गया हैं कि विवादित भूमि अप्रार्थीया सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई हैं, एवं विरासतन भूमि में से ही अपने हक एवं अधिकारों के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीया सं. 1 को प्राप्त विरासतन भूमि में अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

का हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 1 के प्रावधान अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थीया को प्राप्त स्त्रीधन की परिभाषा में आती है, जिसकी अप्रार्थीया पूर्ण स्वामी की हैसियत से उपयोग उपभोग करने की अधिकारिनी हैं। विवादित भूमि अप्रार्थीया स. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में है। विवादित भूमि अप्रार्थीया द्वारा स्त्रीधन एवं पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करने के कारण सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीया के पक्ष में हैं। रिकार्डेड टिनेंट के विरूद्ध यदि निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीया को क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति निषेधाज्ञा के तीनों कारक अप्रार्थीया के पक्ष में हैं, प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं, तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.03.2022 को भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash
Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर